



:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 12.11.2020

क्रमांक स्था-1/भ्र.नि.अ./निलंबन/2020/17868 श्री अरुण कुमार ओझा तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी (राजस्व उप निरीक्षक), नगर परिषद, नामली जिला रतलाम द्वारा निकाय में की गई गंभीर अनिमियताओं के दृष्टिगत अपराध क्रमांक 366/2019 एवं 06/2020 में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 409, 420, 466, 467, 468, 471 एवं 34 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) (ग)(घ)(दो) के अंतर्गत उन्हें दिनांक 31.08.2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसके दृष्टिगत श्री ओझा वर्तमान में न्यायिक निरोध में है।

2. अतः उपरोक्तानुसार श्री अरुण कुमार ओझा तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी (राजस्व उप निरीक्षक), नगर परिषद, नामली जिला रतलाम को अडतालीस घण्टे से अधिक की कालावधि से न्यायिक निरोध में निरूद्ध रखे जाने के दृष्टिगत मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम, 1973 के नियम 36(2) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(2)(क) में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत श्री ओझा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री ओझा का मुख्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, रतलाम रहेगा तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Nehin

(निकुंज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त

नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक स्था-1/भ्र.नि.अ./निलंबन/2020/17869

भोपाल, दिनांक 12.11.2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।

1. कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, उज्जैन।
3. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, रतलाम।
4. प्रशासक, नगर परिषद, नामली जिला रतलाम।
5. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), अनुभाग, ग्रामीण जिला-रतलाम।
6. श्री अरुण कुमार ओझा तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी (राजस्व उप निरीक्षक), नगर परिषद, नामली जिला रतलाम।

Nehin

आयुक्त

नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल